

ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए 300 करोड़ हुए जारी

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना को गति देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। शासन ने बुलंदशहर जिले में भूमि क्रय के लिए 300 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी है। इससे परियोजना के प्रारंभिक चरण, विशेषकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।

औद्योगिक विकास विभाग की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे (बुलंदशहर लिंक) तक प्रस्तावित प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए कुल 1734 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत तय की गई है। इसमें से पूर्व में 1037 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं, जबकि अब अतिरिक्त 300 करोड़ रुपये भूमि खरीद के लिए आवंटित किए गए हैं।

शासन ने स्पष्ट किया है कि यह धनराशि केवल स्वीकृत कार्य भूमि अधिग्रहण पर ही खर्च होगी और इसके उपयोग में वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही, परियोजना में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए संबंधित जिलाधिकारी को जिम्मेदार ठहराया गया है।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार के मुताबिक यह परियोजना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए गेमचेंजर साबित होगी। जेवर एयरपोर्ट,

ये होंगे बदलाव

- जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी सीधे गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगी
- लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर बनने से औद्योगिक निवेश बढ़ेगा
- बुलंदशहर समेत आसपास के जिलों में जमीन की कीमतों में तेजी संभव
- यात्रा समय घटेगा, खासकर एनसीआर से पूर्वांचल की ओर

जिसे देश का सबसे बड़ा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, उसे गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने से लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक निवेश और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। नीति आयोग और सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्टों में भी मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी को आर्थिक विकास का प्रमुख आधार माना गया है।

परियोजना के पूरा होने पर दिल्ली-एनसीआर, पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल के बीच यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी। साथ ही, बुलंदशहर, अलीगढ़ और आसपास के जिलों में औद्योगिक क्लस्टर विकसित होने की संभावना भी बढ़ेगी।

शासनादेश में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, ताकि लागत और समय में बढ़ोतरी (कॉस्ट और टाइम ओवररन) से बचा जा सके। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इस कार्य के लिए पहले किसी अन्य योजना से धनराशि स्वीकृत न हो, जिससे दोहराव (डुप्लीकेसी) न हो।